भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1949

(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को दिया गया)

फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना

1949. श्री मोहम्मद अली खान :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कई फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उन फर्जी कंपनियों में नीरव मोदी समूह द्वारा संवर्धित कंपनियाँ भी हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार उन फर्जी कंपनियों का पता क्यों नहीं लगा पाई?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन "शैल कंपनी" पद परिभाषित नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(ग) में ऐसी कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रावधान है जो तत्काल पूर्ववर्ती 02 (दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं चला रही या परिचालन में नहीं है और उस कंपनी ने धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उक्त अवधि में कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर 31.03.2017 तक इस श्रेणी के अंतर्गत 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.12.2017 तक 2,26,166 कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिए गए। बंद कंपनियों का राज्य-वार विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ): सरकार ने नीरव मोदी ग्रुप और श्री मेहुल चिनूभाई चोकसी से संबंधित 107 कंपनियों और 07 सीमित देयता भागिदारियों (एलएलपी) के कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं जो गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 216 के साथ पठित धारा 212(1)(ग) और एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 43(3)(ग)(झ) के अधीन किया जाना है। इनमें से 30 कंपनियों के नाम यथोपरोक्त 2,26,166 कंपनियों के नाम काटने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व काट दिए गए थे।

*****

अनुलग्नक-क

दिनांक 13 मार्च, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1949 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित अनुलग्नक

31.12.2017 के अनुसार कंपनियों के रजिस्टर से हटाए गए राज्य/संघ शासित राज्य-वार कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ शासित राज्यों का नाम	कंपनियों के रजिस्टर से हटाए गए कंपनियों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	76
2.	आन्ध्र प्रदेश	3633
3.	अरुणाचल प्रदेश	14
4.	असम	172
5.	बिहार	1557
6.	चंडीगढ़	1453
7.	छत्तीसगढ़	906
8.	दादर एवं नगर हवेली	46
9.	दमन एवं दीव	13
10.	दिल्ली	43925
11.	गोवा	1744
12.	गुजरात	11389
13.	हरियाणा	3882
14.	हिमाचल प्रदेश	754
15.	जम्मू और कश्मीर	1394
16.	झारखंड	636
17.	कर्नाटक	18165
18.	केरल	4059
19.	लक्ष्यद्वीप	3
20.	मध्य प्रदेश	4702
21.	महाराष्ट्र	59849
22.	मणिपुर	9
23.	मेघालय	30
24.	मिजोरम	2
25.	नागालैंड	6
26.	ओडीशा	1824
27.	पुदुचेरी	571
28.	पंजाब	2928
29.	राजस्थान	5178
30.	तमिलनाडु	24723
31.	तेलंगाना	16817
32.	त्रिपुरा	14
33.	उत्तर प्रदेश	6822
34.	उत्तराखंड	792

35.	पश्चिम बंगाल	8078
	कुल	**226166**

*****